न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः सुनील कुमार मीना, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू.	तारीख फैसला
32/2023	23.6.2023	24-6-2025

1. गिर्राज पुत्र किशोरी,
2. राकेश पुत्र खिलाड़ी,
3. धनेशी पत्नी खिलाड़ी

सभी जाति मीना, निवासी शफीपुरा, तहसील बामनवास,

वादीगण

बनाम

1. चेतराम दत्तक पुत्र श्योफूल, जाति मीना, निवासी शफीपुरा, तहसील बामनवास
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास,

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी,
इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 24-6-25

इस निर्णय द्वारा निस्तारित किए जा रहे वाद पत्र में वादी द्वारा कथन किया गया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 268 रकवा 0.09 हैक्टेयर, 269 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 270 रकवा 0.08 हैक्टेयर, 271 रकवा 0.07 हैक्टेयर, 272 रकवा 0.14 हैक्टेयर, 428 रकवा 0.56 हैक्टेयर (कुल किता 6, कुल रकवा 1.05 हैक्टेयर) ग्राम सराय में स्थित हैं, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा, वादी संख्या 2 एवं 3 का

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बामनवास

Scanned with CamScanner

1/18–1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व चेतराम पुत्र किशोरी का 1/9 हिस्सा हाल जमाबंदी में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 261 रकवा 0.30 हैक्टेयर, 262 रकवा 0.17 हैक्टेयर, 263 रकवा 0.06 हैक्टेयर, 273 रकवा 0.16 हैक्टेयर, 274 रकवा 0.46 हैक्टेयर, 41 रकवा 0.49 हैक्टेयर, 42 रकवा 0.44 हैक्टेयर, 426 रकवा 0.61 हैक्टेयर, 427 रकवा 0.59 हैक्टेयर, 43 रकवा 0.45 हैक्टेयर, 70 रकवा 0.22 हैक्टेयर, 71 रकवा 0.24 हैक्टेयर, 72 रकवा 0.25 हैक्टेयर, 835 रकवा 0.76 हैक्टेयर, 836 रकवा 0.26 हैक्टेयर, 871 रकवा 0.04 हैक्टेयर, 883 रकवा 0.45 हैक्टेयर, 937 रकवा 0.19 हैक्टेयर (कुल किता 18 कुल रकवा 6.14 हैक्टेयर) ग्राम सराय में स्थित हैं, जिनमें वादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा, वादी संख्या 2 एवं 3 का 1/18–1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व रामचरण पुत्र किशोरी का 1/9 हिस्सा हाल जमाबंदी में दर्ज है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 882 रकवा 0.51 हैक्टेयर ग्राम सराय में स्थित हैं, जिनमें वादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा, वादी संख्या 2 एवं 3 का 1/18–1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व चैनाराम पुत्र किशोरी का 1/9 हिस्सा हाल जमाबंदी में दर्ज है । उपरोक्त वर्णित आराजियात में चेतराम पुत्र किशोरी, रामचरण पुत्र किशोरी व चैनाराम पुत्र

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बामनवास

Scanned with CamScanner

किशोरी के हिस्से में दर्ज भूमि वादीगण के कब्जे काश्त में है ।

आगे कथन किया गया है कि स्व. किशोरी के तीन पुत्र, क्रमशः गिर्राज, खिलाड़ी व चेतराम हुए, जिनमें से चेतराम श्योफूल के यहां रजिस्टर्ड पत्र से गोद चला गया और वह उसी की संपत्ति पर काबिज है तथा उसके नाम की भूमि में उसका नामान्तकरण भी गोद पुत्र की हैसियत से खुल चुका है और वह उस पर काबिज है । विधि अनुसार कोई भी व्यक्ति एक ही स्थान से अपना हिस्सा ले सकता है, अर्थात एक पुत्र के गोद जाने की स्थिति में गोद पुत्र को अपने मूल पिता की संपत्ति में प्राप्त सारे अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं तथा उसके अधिकार दत्तक ग्रहिता पिता की संपत्ति में प्राप्त हो जाते हैं, जो अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हो चुके हैं । इसलिए स्व. किशोरी के हिस्से की भूमि पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं । भौतिक रूप से स्व. किशोरी के हिस्से की भूमि के किसी भी रकबे पर चेतराम का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही वर्तमान में है । किशोरी की भूमि को वादीगण ही काबिज रहकर सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे हैं । किशोरी के निधन के उपरान्त किशोरी के नाम दर्ज भूमि का नामान्तकरण खुलते समय राजस्वकर्मियों ने वादीगण के साथ चेतराम पुत्र किशोरी व रामचरण पुत्र किशोरी व चैनाराम पुत्र किशोरी के नाम से

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बामनवास

Scanned with CamScanner

नामान्तकरण दर्ज कर दिया । रामचरण पुत्र किशोरी व चैनाराम पुत्र किशोरी भी चेतराम पुत्र किशोरी के ही नाम हैं, अन्य कोई व्यक्ति नहीं हैं । राजस्वकर्मियों द्वारा वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के बाबा व वादिया संख्या 3 के ससुर किशोरी के नाम की भूमि में उसके तीसरे पुत्र चेतराम, जो कि श्योफूल के गोद जा चुका था, का नाम दर्ज कर दिए जाने से वादीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से कई मर्तवा उक्त गलती को संशोधित कराने हेतु व तहसील में चलकर बयान करने हेतु कहा, परन्तु वह पहले तो हॉ–हूँ करता रहा और दिनांक 2.2.2023 को उसने तहसील में चलकर बयान करने से स्पष्ट मना कर दिया । अनुतोष में निवेदन किया है कि उनका यह वाद पत्र डिक्री किया जावे व यह उद्घोषित फरमाया जावे कि ग्राम सराय, तहसील बामनवास के हाल खाता संख्या 32 में दर्ज भूमि में चेतराम पुत्र किशोरी के हिस्से 1/9, खाता संख्या 33 में वर्णित भूमि में दर्ज चैनाराम पुत्र किशोरी के हिस्से 1/9 तथा खाता संख्या 160 में वर्णित भूमि में रामचरण पुत्र किशोरी के हिस्से में दर्ज 1/9 भूमि में से 1/18 हिस्से का वादी संख्या 1 व 1/18 हिस्से के वादी संख्या 2 व 3 खातेदार काश्तकार हैं तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बामनवास

Scanned with CamScanner

जावे व उक्त चेतराम पुत्र किशोरी, चैनाराम पुत्र किशोरी व रामचरण पुत्र किशोरी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जावे, इस हेतु प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया जावे । वादीगण ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से भी पाबंद किए जाने का अनुरोध किया है कि वे वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादीगण को उनके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग व प्रयोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही किसी अन्य से करावें ।

प्रतिवादीगण को उक्त आशय के दावे के सम्मन प्रेषित किए गए लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया तथा प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए दोनों पक्षों की ओर से संयुक्त रूप से राजीनामा पेश किया गया, जो दिनांक 11.6.2025 को तस्दीक किया गया । राजीनामे में दोनों पक्षों की ओर से राजीनामे में अंकित विवरण के अनुसार वाद पत्र को डिक्री किए जाने का अनुरोध किया गया ।

दोनों पक्षों को सुना गया । दोनों पक्षों ने न्यायालय के समक्ष राजीनामे के अनुसार राजीनामा होना स्वीकार किया । अतः दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत किया गया राजीनामा तस्दीक किया गया । राजीनामे के अनुसार वादीगण का वाद पत्र डिक्री किए जाने योग्य पाया जाता है ।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बामनवास

Scanned with CamScanner

आदेश

वादीगण का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण राजीनामे के अनुसार डिक्री किया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 268 रकवा 0.09 हैक्टेयर, 269 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 270 रकवा 0.08 हैक्टेयर, 271 रकवा 0.07 हैक्टेयर, 272 रकवा 0.14 हैक्टेयर, 428 रकवा 0.56 हैक्टेयर (कुल किता 6, कुल रकवा 1.05 हैक्टेयर) स्थित ग्राम सराय में दर्ज चेतराम पुत्र किशोरी के हिस्से 1/9 का तथा खसरा नम्बर 261 रकवा 0.30 हैक्टेयर, 262 रकवा 0.17 हैक्टेयर, 263 रकवा 0.06 हैक्टेयर, 273 रकवा 0.16 हैक्टेयर, 274 रकवा 0.46 हैक्टेयर, 41 रकवा 0.49 हैक्टेयर, 42 रकवा 0.44 हैक्टेयर, 426 रकवा 0.61 हैक्टेयर, 427 रकवा 0.59 हैक्टेयर, 43 रकवा 0.45 हैक्टेयर, 70 रकवा 0.22 हैक्टेयर, 71 रकवा 0.24 हैक्टेयर, 72 रकवा 0.25 हैक्टेयर, 835 रकवा 0.76 हैक्टेयर, 836 रकवा 0.26 हैक्टेयर, 871 रकवा 0.04 हैक्टेयर, 883 रकवा 0.45 हैक्टेयर, 937 रकवा 0.19 हैक्टेयर (कुल किता 18 कुल रकवा 6.14 हैक्टेयर) स्थित ग्राम सराय में दर्ज रामचरण पुत्र किशोरी के हिस्से 1/9 का एवं खसरा नम्बर 882 रकवा 0.51 हैक्टेयर स्थित ग्राम सराय में दर्ज चैनाराम पुत्र किशोरी के हिस्से 1/9 का वादी संख्या 2 व 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इसी

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बामनवास

Scanned with CamScanner

अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे । डिक्री तदनुसार तैयार की जावे । राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा ।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बामनवास

(सुनील कुमार मीना)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

निर्णय आज दिनांक 25/06/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बामनवास

(सुनील कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः सुनील कुमार मीना, आर.ए.एस.

1. गिर्राज पुत्र किशोरी (मृतक),
2. राकेश पुत्र खिलाड़ी,
3. धनेशी पत्नी खिलाड़ी

सभी जाति मीना, निवासी शफीपुरा, तहसील बामनवास,

वादीगण

बनाम

1. चेतराम दत्तक पुत्र श्योफूल, जाति मीना, निवासी शफीपुरा, तहसील बामनवास
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास,

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 32/2023

वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित । इस वाद में आज मुझ पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार मीना, आर.ए. एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण बरूए राजीनामा डिक्री किया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 268 रकवा 0.09 हैक्टेयर, 269 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 270 रकवा 0.08 हैक्टेयर, 271 रकवा 0.07 हैक्टेयर, 272 रकवा 0.14 हैक्टेयर, 428 रकवा 0.56 हैक्टेयर (कुल किता 6, कुल रकवा 1.05 हैक्टेयर) स्थित ग्राम सराय में दर्ज चेतराम पुत्र किशोरी के हिस्से 1/9 का तथा खसरा नम्बर 261 रकवा 0.30 हैक्टेयर, 262 रकवा 0.17

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बामनवास

Scanned with CamScanner

हैक्टेयर, 263 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 273 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 274 रकबा 0.46 हैक्टेयर, 41 रकबा 0.49 हैक्टेयर, 42 रकबा 0.44 हैक्टेयर, 426 रकबा 0.61 हैक्टेयर, 427 रकबा 0.59 हैक्टेयर, 43 रकबा 0.45 हैक्टेयर, 70 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 71 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 72 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 835 रकबा 0.76 हैक्टेयर, 836 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 871 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 883 रकबा 0.45 हैक्टेयर, 937 रकबा 0.19 हैक्टेयर (कुल किता 18 कुल रकबा 6.14 हैक्टेयर) स्थित ग्राम सराय में दर्ज रामचरण पुत्र किशोरी के हिस्से 1/9 का एवं खसरा नम्बर 882 रकबा 0.51 हैक्टेयर स्थित ग्राम सराय में दर्ज चैनाराम पुत्र किशोरी के हिस्से 1/9 का वादी संख्या 2 व 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे । राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 24-6-25 को जारी की गई ।

24/06/25

(सुनील कुमार मीणा)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	

Scanned with CamScanner